आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –80 / 2023
कैलाश पासवान
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
13.03.2023	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No. 18916 / 2019 में दिनांक–02.02.2023 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में दिनांक 09.03.2019 को लिये गये निर्णय से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि प्रश्नगत मामला समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 09.03.2019 को जन वितरण प्रणाली विक्रेता के लिए नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय से संबंधित है। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर पूर्व में भी पुनरीक्षणकर्ता ने इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) में वाद सं0–101 / 2019 दायर किया था। उक्त वाद को इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.07.2019 से पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध वादी ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 18916 / 2019 दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2023 को पारित आदेश का अंश निम्न है :– **"The petition is permitted to be withdrawn with observation that in case the petitioner files a suitable representation/complaint before the Divisional Commissioner in view of the notification dated 21.07.2022 issued by the Government in exercise of the**	

WEB COPY NOT OFFICIAL

powers conferred under sections 3 and 5 of the Essential Commodities Act, 1955 read with Clause -36 of the Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016, within a period of 30 days, the same shall be looked into and after hearing all the stakeholders including respondent nos. 9 and 10, the concerned Divisional Commissioner shall pass a final order within a further period of 60 days, giving reasons in support of the decision taken by him."

वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सविस्तार सुना। वादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार प्रश्नगत वाद को सुनने की अधिकारिता **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016** के आलोक में इस न्यायालय को है, जिसके आलोक में यह वाद दायर किया गया है।

वहीं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के अनुसार प्रश्नगत वाद को पूर्व में भी इस न्यायालय में वादी द्वारा लाया गया था, जिसे इस न्यायालय में पोषणीयता के बिंदु पर खारिज कर दिया गया था। पुनः उसी वाद को सुनना विधिसम्मत नहीं है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामला को इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) द्वारा पोषणीय नहीं पाते हुए अपने आदेश दिनांक 23.07.2021 से खारिज कर दिया गया था, क्योंकि **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016** के गजट का प्रकाशन दिनांक 14.03.2016 को हुआ था उस समय प्रश्नगत मामले को सुनने की अधिकारिता नहीं थी। **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016** में सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक 3223 दिनांक 21.07.2022 के कंडिका 5 (iv) में संशोधन करते हुए आयुक्त को शक्ति प्रदत्त की गई है। उक्त संशोधन में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा। उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) द्वारा दिनांक 23. 07.2021 को आदेश पारित किया जा चुका है, जबकि नया संशोधन

WEB COPY NOT OFFICIAL

	दिनांक 21.07.2022 को हुआ है जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले में नया संशोधन लागू नही होगा। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले को वादी के वाद वापसी के अनुरोध पर इस न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है। अतएव तत्कालीन प्रावधान के तहत इस न्यायालय (तत्कालीन आयुक्त) द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है जो प्रश्नगत मामले में लागू था। अब पुनः आदेश पारित करना विधिसम्मत् नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त।**	

WEB COPY NOT OFFICIAL